रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

15/3/72

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 1972/पौष 28, 1893

No. 29] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 1972/PAUSA 28, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 18th January 1972

S.O. 38-E.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Coir products (Inspection) Rules, 1965, namely:—

1. These rules may be called the Export of Coir products (Inspection) Amendment Rules, 1972.

2. In the Export of Coir Products (Inspection) Rules, 1965, after rule 5, the following rule shall be inserted, namely:—

"5A. Inspection fee—A fee at the rate of ten paise for every one hundred rupees of the f.o.b value of each consignment shall be paid as inspection fee for inspection of coir products."

[No. 6(5)/71-Exp. Insp.]

विदेश व्यापार मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1972

का० आ० 38 (अ).—निर्यात (गुण नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार क्वर उत्पाद के निर्यात (निरीक्षण) नियम 1965 में आगे संशोधन करने के लिए, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात्—

1. ये नियम क्वर उत्पाद के निर्यात (नि क्षण) सशोधन नियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

2. नारियल जटा उत्पाद के नियति (निरीक्षण) नियम 1965 में नियम 5 के बाद निम्नोक्त नियम निविष्ट किया जायेगा :—

"5क. निरीक्षण फीस : प्रत्येक परेषण के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के प्रति एक सौ रुपये के लिए दस पैसे की दर से फीस क्वर उत्पादों के निरीक्षण के लिए निरीक्षण फीस के रूप में संदत्त की जायेगी ।"

[सं० 6(5)/71—एक्सपो० इन्सपो०]

S.O. 38A(E).—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Coir Yarn (Inspection) Rules, 1966 namely:—

1. These rules may be called the Export of Coir Yarn (Inspection) Amendment Rules, 1972.

2. In the Export of Coir Yarn (Inspection) Rules, 1966, after rule 7, the following rule shall be inserted, namely:—

"7A. Inspection fee—A fee at the rate of ten paise for every one hundred rupees of the f.o.b. value of each consignment shall be paid as inspection fee for inspection of coir yarn."

[No. 6(5)/71-Exp. Insp.]

Y. T. SHAH, Addl. Secy

का० आ० 38ए (अ).—निर्यात (गुण नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, क्वर धागा निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 में आगे संशोधन करने के लिए, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात्

1. ये नियम क्वर धागा निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

2. क्यर धागा नियंत्रण (निरीक्षण) नियम, 1966 में नियम 7 के बाद निम्नांकित नियम प्रविष्ट किया जायेगा, अर्थात :

"8क. निरीक्षण फीस —प्रत्येक परेषण के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के प्रति एक सौ रुपये के लिए दस पैसे की दर से फीस क्यर धागे के नि ीक्षण हेतु निरीक्षण फीस के रूप में संदत्त की जायेगी।"

[सं० 6(5)/71-एक्सपो० इम्पो०]

वाई० टी० शाह, अवर सचिव,
भारत सरकार।

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

ERRATUM

In the Central Board of Direct Taxes Notification No. 49/F. No. 141(1)/70-**TPL**, dated the 20th February, 1971 published in the Gazette of India Extraordinary Part II—Section 3—Sub-section (ii) under Issue No. 147 of February 22, 1971, the following correction is to be made in both English and Hindi versions:—

For "S.O. 1917" *read* "S.O. 917"

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972